

22.07.2022:— आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। वादीया सख्या 1 सुमित्रा व वादीया सख्या 2 नौजा की ओर से अधिवक्ता तरसेम सिंह बराड द्वारा वकालतनाम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीया अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीया सख्या 1 व 2 अपने वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहती। वादीया का वादपत्र इसी स्तर पर विद्धा किया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादीया के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीया सख्या 1 व 2 के फर्द अहकाम पर अगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादीया की पहचान वादीया अधिवक्ता श्री तरसेम सिंह बराड द्वारा की गई। वादीया का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपत्र वादीया मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलकरी  
उपवाडिकारी  
राजपुरा